

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

①

मदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

रश्या 2378. बनाम श्री. राधाशंकर शर्मा


कदमा R.F.A. 212. न. 2/54/19 सन्

व म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>22.04.2019</p> <p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्मे एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 09.05.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.23, 146 रकबा 0.49 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके ग्राम तिलवाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर को रहन, बैय नही करे व कब्जे काशत में दखलन्दाजी नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थीगण दिनांक 09.05.2019 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 09.05.2019 को पेश हो।</p> <p>9.5.19 वकील वकील/पु.का. वकील है। की वकील</p> <p>11.7.19</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

रेशमा बनाम शीलावती कोराट
प्रकरण सं. 2/115/2023 तारीख रजू. 23.01.2023

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	<p>पत्र शाह राम पत्नी शशी के 1001 PPHS कले पर इसी स्तर पर ड्रॉप/खातिब किया जाता है। पत्नी पैसल शूगर होकर मकूर से कर है। विस तक्ररत वरिषल रफर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर) राज०</p>	<p>Not found 7.5.20</p>